न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री ए.एच गौरी आर0ए0एस

मुकदमा नम्बर : राजस्व अपील 30/2018

कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी नोखा गांव तहसील नोखा, जिला बीकानेर
अपीलाण्टन

बनाम

1. जगमालसिंह पुत्र तेजसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र भगवंतसिंह
4. मुलसिंह पुत्र भगवंतसिंह
5. पप्पुसिंह पुत्र नारायणसिंह
6. हरूसिंह पुत्र जगमालसिंह

} जाति राजपूत निवासी नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट्स

::अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता
2– रेस्पोडेन्ट्स की ओर से – श्री मोहनलाल जाजड़ा अधिवक्ता
3– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 30.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार (राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि तहसीलदार नोखा द्वारा रिकार्ड में दर्ज रास्ता होने के बावजूद नया रास्ता खोलने के आदेश दिये गये। जो खिलाफ इंसाफ व असूल के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

2. अपील प्रस्तुति पर रेस्पोडेन्ट पक्ष भंवरसिंह उर्फ सुन्दरसिंह पुत्र नारायणसिंह की ओर से श्री मोहनलाल जाजड़ा अधिवक्ता ने दिनांक 13.6.2018 को कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील प्रस्तुत होने पर स्थगन पर उभय पक्ष को सुना गया एवं दिनांक 14.06.2018 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी 4607/2018 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2018 को निगरानी खारिज करते हुवे अदालतवाला के आदेश दिनांक 14.06.2018 को राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 19269/2018 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत एसबी सिविल रिट याचिका सं. 19269/2018 को दिनांक 5.7.2019 को निर्णित करते हुवे प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है।

3. तदन्नतर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस है कि अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम नोखा गांव के खसरा नं. 460 में स्थित है। अपीलान्ट के खेत के पूर्व में रेंवतसिंह पुत्र जुहारसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का खेत स्थित है तथा उत्तरी पूर्व खुंट व पश्चिम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत स्थित है। जहां एक रास्ता अपीलान्ट के खेत खसरा नं. 460 के दक्षिण पश्चिम खुंट पर स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के खसरा नं. 468 की दक्षिणी सीमा से होकर अपीलान्ट के पूर्व में स्थित रेंवतसिंह पुत्र जुहारसिंह के खसरा नं. 466 से होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के खसरा नं. 462 को जाता है। खसरा नं. 462 से नोखा गांव की सीमा समाप्त हो जाती है। आगे कोई रास्ता नहीं जाता है। अपीलान्ट के उतरी पश्चिम खुंट की तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत खसरा नं. 451 स्थित है। जिसमें आवागमन के लिए मार्ग खसरा नं. 452 व 451 की सीमा से अपीलान्ट के खसरा नं. 460 की सीमा तक आता है एवं अपीलान्ट के खसरा नं. 460 के उतरी पूर्व खुंट पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 447 में आवागमन के लिए अपीलान्ट के खसरा नं. 460 की उतरी सीमा से रास्ता उपलब्ध है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में एक दावा अनवानी कालूसिंह बनाम शैतानसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है। जिसमें दिनांक 27.4.2016 से ग्राम नोखा गांव के खसरा नं. 460 तादादी 10.87 हैक्टयर भूमि में मौका रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, जो आज तक अस्तित्व में है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट के खेत में से रास्ता खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिससे अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट दिनांक 03.05.2018 को जरिये वकील हाजिर हुआ तथा अदालत मातहत को मौके की वास्तविक स्थिति बताकर जवाब आगामी पेशी मांगी तो अदालत मातहत ने कहा कि रेस्पोडेन्टान नहीं आ रहे है। इसलिए आज ही फैसला करूंगा। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय न्याय नहीं कर अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय करेगे इसलिए अपीलान्ट ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। फिर भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टान को अपने खेतों में आवागमन के लिए नोखा गांव से सुरपुरा जाने वाली सड़क से खसरा नम्बर 452, 451 से होते हुए रास्ता मौजूद था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर अपीलान्ट के खेत में से नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं होने से जैर अपील निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट अपने प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह करने हेतु हाजिर नहीं रहे ना ही अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टान की जिरह हेतु अवसर प्रदान किया गया। संपूर्ण कार्यवाही विधिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर रेस्पोडेन्टान को अनुचित लाभ प्रदान करने की नियत से आदेश जैर अपील पारित किया है। अतः आदेश जैर अपील दिनांक 08.06.2018 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट की बहस है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 446, 447 में बारहा मासी खेत में निवास करते है। प्रार्थी के खेत में आवागमन का एक मात्र रास्ता पीढ़ियों से खेत खसरा नम्बर 460 में से होकर जाता है जिसे अपीलान्ट ने तार व खाई खोद कर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी के खेत का रास्ता बिना अधिकार के जानबूझकर कानून को ताक पर रखकर जबरदस्ती बन्द कर आम रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। पूर्व में दिनांक 23.3.2018 को माननीय तहसीलदार नोखा में पीढ़ियों से जारी रास्ता बन्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दोनों पक्षों को सुन कर तहसीलदार नोखा ने धारा 251 में निर्णय दिनांक 8.6.2018 को निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय की पालना में पुलिस इमदाद से रास्ता खुलवाने की टीम का गठन कर दिनांक 14.06.2018 को मौके पर कालूसिंह के खेत खसरा नं. 460 में अवरूद्ध बन्द आम रास्ता खुलवाया गया। जिसकी मौका रिपोर्ट नोखा गांव रास्ता खुलवाने बाबत मुखियान रूबरू एवं सरपंच नोखा गांव के उपस्थिति में खेत खसरा नं. 460 कालूसिंह द्वारा बन्द रास्ता खुलवाकर पालना रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार नोखा की अपील अदालत में की गई जिसमें अन्तरिम स्थगन कालूसिंह खारिज हो चुका है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जिसमें भी माननीय मण्डल ने रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिया है। मौका स्थिति रास्ता हमेशा से चालू था एक बार बन्द किया जिसे पुलिस इमदाद में खुलवाया गया व कालूसिंह को भविष्य में रास्ता बन्द नहीं करने के लिए पाबन्द किया । परन्तु दिनांक 11.7.2018 को पीढ़ियों से जारी आम रास्ते को कांटेदार तार व खाई खोद कर बन्द किया जो माननीय राजस्व मण्डल के मौके की यथास्थिति के आदेश की अवहेलना है। प्रार्थी भंवरसिंह उर्फ सुन्दरसिंह पप्पुसिंह महेन्द्रसिंह, जगमालसिंह के खेतों में जाने का एक मात्र यही रास्ता है। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। नारायणसिंह की ढाणियों में आने जाने का रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के परिवार व पशुधन का जीवन संकट में है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों में आ–जा नहीं पायेगें। प्रार्थीगण व अप्रार्थी कालूसिंह के पूर्वजों ने संवत 2008 में बहीं में उक्त रास्ता खेतों के लिए तय किया गया जिस पर पीढ़ियों से बिना किसी बांधा के लगातार रास्ते का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खेते में आने–जाने का एक मात्र रास्ता है। केवल हठधर्मिता एवं बाहुबल धनबल के जोर पर कालूसिंह तंग परेशान करने की बदनीयत से बार–बार आम रास्ता बन्द कर तंग परेशान कर रहा हैं एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी कर रहा है। नोखा गांव से नारायणसिंह की ढाणियों तक 4 किमो रास्ता पीढ़ियों से चालू है, जिसकी पुष्टि गुगल से होती है, मौके पर निशानात एवं पटवारी भूअनि की रिपोर्ट से होती है। धारा 251 के आदेश दिनांक 8.6.18 की पालना रिपोर्ट से होती है। प्रार्थी व अन्य एवं अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुखाचार के आधार पर पीढ़ियों से जारी खेत में आवागमन का रास्ता साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्द रास्ते को खुलवाने का निर्णय लिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी गलत आधारों पर पेश होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के समक्ष दिनांक 23.03.2018 को रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किये जाने पर धारा 251 आर.टी.ए. 1955 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 08.06.2018 को ग्राम नोखा के खसरा नम्बर 460 में पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट व नक्शें में अंकित स्थान 'ए' से 'सी' तक सुखाचार के रास्ते को सदैव खुले रखने के आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2018 एवं उसके संलग्न नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 460 के संलग्न उपखण्ड अधिकारी नोखा के न्यायालय में प्रकरण संख्या 47/2016 कालूसिंह बनाम शैतानसिंह में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का उल्लेख भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर मार्गदर्शन लिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी नोखा ने स्थगन आदेश उक्त खसरे पर लागू नहीं होने व रास्ता खुलवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी पत्र लिखा है। पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट चाहे जाने पर दिनांक 9.5.2018 को किसी भी पक्षकार की उपस्थिति के बिना फर्द मौका रिपोर्ट पेश की। जिसमें खसरा नम्बर 460 में रास्ता बन्द करने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की ओर से एक मुन्तकिली प्रार्थना पत्र 03/2018 अदातलवाला में पेश किया। जिस पर तहसीलदार नोखा से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। उभय पक्ष को नोटिस जारी किये गये। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाने के निवेदन पर दिनांक 06.08.2018 को प्रार्थना पत्र खारिज किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अदालतवाला द्वारा स्थगन के प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.06.18 को निरस्त करने के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 4607/2018 में दिनांक 07.09.2018 की आदेशिका से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार नोखा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि "आज दिनांक 14.10.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश निग/टीए/ 2018/4607/24.09.18 दिनांक 10.09.2018 की पालना में नोखा गांव के खसरा नम्बर 460 में से विवादित रास्ते के मौका निरीक्षण हेतु उभय पक्षों को सूचित कर हल्का पटवारी को लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर उभय पक्षों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मौके का नजरी नक्शा तैयार किया गया, जो मौका रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। मौके पर ख.न. 468 की पश्चिमी सीमा से होते हुए, ख.न. 459 की दक्षिणी भाग पर रास्ता चालू है, जो नजरी नक्शें में लाल स्याही से मार्क X दर्शाया गया है। मार्क X से A तक गाड़ी लाईन रास्ते के अलामात है, जो मार्क A तक खसरा नम्बर 459 में मौजूद है। मार्क A पर रास्ता बन्द है। खसरा नम्बर 460 में रास्ता खुलवाने के निशानात मौजूद है, जो संभवतया जेसीबी के टायरों से बने हुए है। इन निशानात के मध्य में फसल भी खड़ी है, जिससे लगता है कि खेत ख.नं. 460 में फसल बुवाई के बाद रास्ता खुलवाया गया है। इन निशानात को नजरी नक्शें में मार्क ABCD दर्शाया गया है। मार्क D से E तक ख.न. 755/449 में पगडण्डी चलती है, जो खेत ख.नं. 446 में प्रवेश

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

करती है। इसी प्रकार खसरा नं. 460 की उतरी सीमा पर रास्ता मौके पर मौजूद है, जो ख.न. 447 व 451 को जोड़ता है, नजरी नक्शें में इसे मार्क D-F से दर्शाया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ख.नं. 447 व 451 का खातेदार गैर निगरानीकार ही है। निगरानी में प्रश्नगत रास्ते से ख.न. 447 तक रास्ते की लम्बाई लगभग 852 मीटर बनती है, जबकि नजरी नक्शे में दर्शित D से F रास्ते से ख.नं. 451 में से, जो गैर निगराकार की खातेदारी खेत है, होकर इसके पश्चिम में स्थिति ख.नं. 452 में से गुजरने वाले सूरपुरा ग्राम जाने वाले मार्ग से खेत खसरा नम्बर 447 में जाने पर लम्बाई 604 मीटर होती है। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त उभय पक्षों में आपस में कहासुनी होने लगी। रिपोर्ट तैयार कर पढ़कर सुनाने पर उभय पक्षों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।" तत्पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी को दिनांक 11.12.2018 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत एसबी सिविल रिट याचिका सं. 19269/2018 को दिनांक 5.7.2019 को निर्णित करते हुवे प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 460 की 10.87 हैक्टेयर भूमि जो कालूसिंह, शैतानसिंह पिसरान भंवरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि शैतानसिंह को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही उसके बयान दर्ज किये गये है तथा मौके पर भी फर्द मौका की कार्यवाही के समय भी उपस्थित नहीं रहा। खसरा नम्बर 460 में जो शैतानसिंह सहकाश्तकार होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है। जिसे सुनवाई का मौका दिया जाना कानूनन रूप से आवश्यक है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार नोखा के निर्णय दिनांक 08.06.2018 को अपास्त करते हुवे प्रकरण तहसीलदार नोखा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुवे स्थल निरीक्षण एवं काश्तकारों के बयान के आधार पर सुखाधिकार के अन्तर्गत सुगम रास्ता के संबंध में पुनः आदेश पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: